

**RAJASTHAN STATE FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.**

Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan, LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015

Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649

Fax No. 0141-2741924 - E-Mail: rsfcsc@gmail.com

CIN: U63023RJ2010SGC033489

क्रमांक: एफ 11 (1)राराखानाआनि./अन्नापूर्णा/2025

अन्नपूर्णा भंडार योजना हेतु उचित मूल्य दुकानदार के पंजीकरण का आवेदन पत्र

नाम उचित मूल्य दुकानदार:-	
पोश मशीन नम्बर :-	
प्राधिकार पत्र संख्या :-	
मोबाइल नम्बर :-	
ग्राम पंचायत का नाम एवं पता :-	
वार्ड संख्या एवं पता :-	
तहसील/जिला का नाम :-	
बैंक खाता संख्या :-	
शुल्क :- डी.डी./बैंकर्स चेक/RTGS/NEFT	2500/- (दो हजार पांच सौ रुपये) (रिफंडेबल)

मैं.....अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत स्वेच्छा से अन्नपूर्णा भंडार का संचालन करने के लिए सहमत हूँ। अन्नपूर्णा भंडार योजना की समस्त शर्तों व दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु सहमत हूँ। उक्त हेतु मैं अपनी अंडरटेकिंग आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

उचित मूल्य दुकानदार हस्ताक्षर

उक्त डीलर द्वारा आवेदन शुल्क रु 2500/- कार्यालय के बैंक..... खाता सं.....दिनांक-.....जमा करा दिये गये हैं। उक्त एफपीएस का अन्नपूर्णा भंडार कोड.....(जिले का नाम/तहसील का नाम/FPS Code) है।

प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति

मैं उचित मूल्य दुकानदार पता.....
.....तहसील.....

जिला.....पोश मशीन नं.....घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा
अन्नपूर्णा भंडार योजना अन्तर्गत स्वेच्छा से अन्नपूर्णा भंडार संचालन हेतु आवेदन
किया गया है जिसके लिए मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूँ—

1. अन्नपूर्णा भंडार का संचालन मेरे स्वयं के द्वारा ही किया जायेगा।
2. मेरे द्वारा अन्नपूर्णा भंडार संचालन हेतु FSSAI 2006 के तहत लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है/जायेगा।
3. मेरे पास अन्नपूर्णा भंडार संचालन हेतु सामग्री रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा प्राप्त सामग्री का उचित भंडारण मेरे द्वारा किया जावेगा।
4. मेरी दुकान पर उपभोक्ताओं तथा सामग्री वाहन पहुंचने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध है।
5. मेरे द्वारा अनुबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म से ही सामान क्रय किया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से आपूर्ति नहीं ली जावेगी।
6. मेरे द्वारा अन्नपूर्णा भंडार पर प्रतिबंधित सामान का विक्रय नहीं किया जायेगा।
7. मेरे द्वारा आपूर्ति के समय ही आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान कर दिया जायेगा तथा भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
8. मेरे द्वारा अन्नपूर्णा भंडार पर खाद्य विभाग/ निगम द्वारा निर्धारित दरों पर ही सामग्री विक्रय की जायेगी।
9. मेरे द्वारा मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से अनुबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मों को ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन फिस राशि रुपये 2500/- (रिफंडेबल) का समायोजन खाद्य विभाग/निगम द्वारा करने पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा।
10. मेरे द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री शेल्फ लाइफ जांच कर ही प्राप्त की जायेगी तथा अवधिपार किसी सामग्री की डिलीवरी प्राप्त नहीं की जायेगी।
11. अनुबंधित आपूर्तिकर्ता से सामान प्राप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की छीजत एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा भंडार संचालक की होगी।
12. मेरे द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना का स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
13. मेरे द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित मूल्य सूची की जानकारी स्थानीय उपभोक्ताओं को दी जायेगी।
14. मेरे द्वारा निगम/विभाग द्वारा जारी की गई अन्नपूर्णा भंडार संबंधी एसओपी तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

हस्ताक्षर
उचित मूल्य दुकानदार